न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 70/2019

उनवान :

1. किशनसिंह पि0मु0 सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान भूमिधारी जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. एस0के0जी0बी0 शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग **: वादी**

वकील श्री लीलाधर अग्रवाल**: प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय

दिनांक: 28.03.2025

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2066—69 के खाता संख्या 64/68 के खसरा संख्या 284, 479, 562, 563, 601 की कुल 26.2990 है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि अच्छी एवं मंदी दोनों किस्म की भूमि है वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से बाइ मीट्स एवं बाउण्डस के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 जरिये वकील हाजिर आए।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी कि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2066—69 के खाता संख्या 64/68 के खसरा संख्या 284, 479, 562, 563, 601 की कुल 26.2990 है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में वा[illegible] प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अ[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी म[illegible] जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तह[illegible] अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./24/794 दि[illegible] 27.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा कलाना का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विभाजन : रोही मौजा कलाना

किशनसिंह पि0मु0 सुगनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा कलाना :– रोही मौजा कलाना खसरा संख्या 284/1 रकबा 3.523 है0, खसरा संख्या 479/1 रकबा 3.257 है0 खसरा संख्या 562 रकबा 1.910 है0 खसरा संख्या 563 रकबा 2.985 है0 खसरा संख्या 601/1 रकबा 1.474 है0 कुल किता 5 रकबा 13.149 है0।

…रसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार :– रोही मौजा कलाना खसरा संख्या 284/2 रकबा 3.523 है0, खसरा संख्या 479/2 रकबा 3.258 है0, खसरा संख्या 601/2 रकबा 6.369 है0 कुल किता 3 रकबा 13.150 है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

यालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

संo : 70/2019

न :

1. किशनसिंह पि0मु0 सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान भूमिधारी जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. एस0के0जी0बी0 शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील श्री कृष्ण गर्ग तथा वकील प्रतिवादी श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी रोही मौजा कलाना के जमाबंदी 2066—69 के खाता संख्या 64/68 के खसरा संख्या 284, 479, 562, 563, 601 की कुल 26. 0 है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज स्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार तेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार था जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा पत्रांक भू.अ./24/794 दिनांक 27.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर य पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति हिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा कलाना का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के धार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

भाजन : <u>रोही मौजा कलाना</u>

शनसिंह पि0मु0 सुगनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा कलाना :— ही मौजा कलाना खसरा संख्या 284/1 रकबा 3.523 है0, खसरा संख्या 479/1 रकबा 3.257 है0 सरा संख्या 562 रकबा 1.910 है0 खसरा संख्या 563 रकबा 2.985 है0 खसरा संख्या 601/1 कबा 1.474 है0 कुल किता 5 रकबा 13.149 है0।

वरसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार :— रोही मौजा कलाना खसरा संख्या 284/2 रकबा 3.523 है0, खसरा संख्या 479/2 रकबा 3.258 है0, खसरा संख्या 601/2 रकबा 6. 369 है0 कुल किता 3 रकबा 13.150 है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार भादरा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.03.25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner